न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 179 / 2020 (2020 / 00689) दायर दिनांक 28.12.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

प्रभुलाल पिता मितु लाल चमार निवासी पाल का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. ग्राम पंचायत महेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये ग्राम विकास अधिकारी पंचायत महेन्द्रगढ़।

––विपक्षीगण

उपस्थिति :–

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री भगवती लाल टेलर

पेरोकार सरकार

विपक्षी सं0 2 : उपस्थित

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–01.03.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम माकड़िया पटवार हल्का भूणास भू अभिलेख क्षेत्र भूणास तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 836, 837, 839 कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 हे0 भूमि स्थित है। जिसके लिये वर्तमान जमाबंदी व नक्शाट्रेस पेश है।

यह कि प्रार्थी की अपनी उक्त आराजी में जाने के लिये मौके पर रास्ता विपक्षी संख्या 02 विकास पंचायत के नाम दर्ज आ[illegible] रास्ता मे से होकर आराजी संख्या 838 किस्म बीड से होकर जाता है तथ[illegible] इसी रास्ते से आ–जा रहा है। तथा मौके पर रास्ता बना हुआ है[illegible] 838 विपक्षी संख्या 02 विकास पंचायत महेन्द्रगढ़ के नाम पर [illegible] है। आराजी संख्या 981 / 2[illegible]मु रास्ता होकर मौके पर इस आराजी में कच्ची ग्रेवल सड़क [illegible] हुयी है जो ग्रामीण रास्ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 15:11:40 IST
Reason: SelfAttested

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

यह कि प्रार्थी का रास्ता विपक्षी संख्या 02 की आराजी संख्या 838 में उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ होकर मुझ प्रार्थी की आराजी 839 में जाता है। तथा मौके पर विपक्षी संख्या की आराजी 838 मे से 40 फीट चौड़ा रास्ता जाता है। तथा मौके पर रास्ता विद्यमान है जिसे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है।

यह कि प्रार्थी नियमानुसार विपक्षी संख्या 02 की आराजी मे रास्ता दर्ज करने में उपयोग आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर से राशि विपक्षीगण को देने को तैयार है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण संख्या 02 विकास पंचायत महेन्द्रगढ़ की आराजी संख्या 838 किस्म बीड मे उत्तर—पश्चिम दिशा की तरफ 40 फीट चौड़ा रास्ता जो कि मौके पर मौजूद है जो प्रार्थी की आराजी संख्या 839, 836, 837 मे जाने के लिये उपयोग मे आ रहा है को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण विधिवत इस न्यायालय में दिनांक 16.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से जवाबदेही बंद की जाती है। विपक्षी संख्या 02 उपस्थित जवाब पेश कर निवेदन किया कि विकास पंचायत के नाम दर्ज आराजी नम्बर 981/2190 गे0मु0 रास्ता में होकर विपक्षी जाना चाहता है तो पंचायत की भूमि के बदले उस विपक्षी को अपनी भूमि पंचायत के नाम दर्ज करवाना चाहता हैं तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/21/97 दिनांक 27.01.2021 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>मौका पर्चा अनुसार :—</u>

—यह कि ग्राम माकड़िया प0ह0 भूणास के आराजी नं0 981/2190 रकबा 0.85 हे0 किस्म गै0मु0 रास्ता व आराजी नं0 838 रकबा 0.69 हे0 किस्म बीड़ भूमि राजस्व रेकार्ड में विकास पंचायत महेन्द्रगढ़ के नाम पर दर्ज होकर आराजी नं0 981/2190 रकबा 0.85 हे0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर ग्रेवल सड़क माकड़िया से ओझागर जाने वाली बनी हुई है। तथा आराजी नं0 836, 837, 839 में आवागमन हेतु उक्त सड़क से होकर आराजी नं0 838 के दक्षिण पश्चिमी कोने से [illegible] जा रहा है।
—यह कि मौके पर उक्त रास्ता आवागमन हे[illegible] प्रार्थी द्वारा आराजी नं0 838 में से आवागमन किया जा रहा है।
—यह कि मौके पर उक्त विवादित [illegible] अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं हैं।
—यह कि वर्तमान में आराजी नं0 836, 837, 83[illegible] में आराजी नं0 981/2190 व आराजी नं0 838 में होकर आवागमन किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 15:11:40 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

2

— यह कि प्रार्थी द्वारा आराजी नं0 838 में से 40 फीट का रास्ता चाहा गया है जिसके अनुसार आराजी नं0 838 में से 0.03 हे0 भूमि उक्त रास्ते में प्रभावित होगी। ग्राम माकड़िया की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 208298/— रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 0.03 हे0 भूमि की मालियत 6249/—रूपये होती है। जिसकी दुगुनी राशि 12498/— रूपये होती है।

— यह कि प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है।

— यह कि उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्राथी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी नं0 836, 837, 839 में आवागमन हेतु आराजी नं0 838 में से 40 फीट का रास्ता चाहा गया है जिसके अनुसार आराजी नं0 838 में से 0.03 हे0 भूमि उक्त रास्ते में प्रभावित होगी। ग्राम माकड़िया की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 208298/— रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 0.03 हे0 भूमि की मालियत 6249/—रूपये होती है। जिसकी दुगुनी राशि 12498/— रूपये होती है।

मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित **किया गया है। प्रार्थी को अपनी** कुषि भुमि आराजी नं0 836, 837, 839 में आने जाने के **लिए प्रस्तावित भुमि के** लिए विपक्षीगण संख्या 02 की आराजी नं0 838 में से 0.03 हे0 **भूमि प्रभावित होगी अर्थात** रास्ते हेतु कुल 0.03 हे0 भूमि का नवीन रास्ता दर्ज किया **जाना उचित प्रतित होता है** अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाता **है। विपक्षीगण संख्या 02** की ग्राम माकड़िया प0ह0 भूणास की आराजी नं0 838 में से 0.03 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 208298/— है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan **Revenue (Gr-6) Department** के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date **02-03-2012 के अनुसार** डी0एल0सी0दर से मालीयत मालियत 6249/— रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 12498/— रूपये प्रार्थी विपक्षी संख्या 2 को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी नं0 838 में से 0.03 हे0 भूमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से राशि 12498/— रूपये प्रार्थीगण से वसुल कर विपक्षीगण संख्या 02 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जा[illegible] भूणास की आराजी संख्या 836, 837, 839 में आने जाने के लिए 40 [illegible] रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में लाल स्याही [illegible] रास्ता दर्ज अभिलेख करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमि[illegible] बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 15:11:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा